

तूतीकोरिन नियम का पत्तन - 1977
नई दिल्ली 25 मार्च, 1977

जी.एस.आर. 499 . जबकि न्यू तूतीकोरिन नियमए 1976 के प्रमुख पत्तन का मसौदा भारतीय पत्तन अधिनियमए 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा आवश्यक के रूप में भारत के राजपत्र के पृष्ठ 1416 से 1434 पर प्रकाशित किया गया था। भारतए भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) दिनांक 29 मई, 1976, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन विंग) संख्या जी.एस.आर की अधिसूचना के तहत। 728, दिनांक 7 मईए 1976, आधिकारिक में उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति तक इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

और जबकि उक्त राजपत्र जनता को 14 जून को उपलब्ध करा दिया गया था, 1976 :

और जबकि किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदे के संबंध में:

अब, इसलिए धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैए अर्थात्:

भाग 1 – प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इन नियमों को कहा जा सकता है न्यू तूतीकोरिन नियम, 1977 का प्रमुख पत्तन।
2. वे आधिकारिक में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे राजपत्र।

3. जब तक कि इन नियमों में अन्यथा प्रदान न किया गया हो केवल के भीतर ही लागू होंगे न्यू तूतीकोरिन के प्रमुख पत्तन की स्थानीय सीमाएँ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

ए) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15)

बी) "संरक्षक" का अर्थ है न्यू के प्रमुख पत्तन के संरक्षक अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तूतीकोरिन

सी) "खतरनाक सामान" का मतलब भारतीय व्यापारी में परिभाषित माल है नौवहन (खतरनाक माल की ढुलाई) नियम, 1954

डी) "खतरनाक पेट्रोलियम" का अर्थ है पेट्रोलियम जिसका फ्लैश प्वाइंट नीचे है 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड

ई) "उप संरक्षक" का अर्थ है पत्तन के समुद्री विभाग का प्रमुख और इसमें हार्बर मास्टर या के प्रमुख द्वारा अधिकृत कोई भी पायलट ड्यूटी शामिल है इस संबंध में समुद्री विभाग

एफ) "ईंधन तेल" का अर्थ पेट्रोलियम तेल है जिसका फ्लैश प्वाइंट 65.6 . से कम नहीं है डिग्री सेंटीग्रेड और आमतौर पर इंजन और भट्टियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

जी) माल के संबंध में "मालिक" में कोई भी कंसाइनर कंसाइनी शामिल है, ऐसे माल की बिक्री अभिरक्षा, लदान या उतराई के लिए शिपर या एजेंट और पत्तन का उपयोग करने वाले किसी पोत के संबंध में, इसमें कोई पत्तन-स्वामी भी शामिल है, चार्टरर, परेषिती, या उसके कब्जे में गिरवी रखने वाला।

एच) "पेट्रोलियम" का अर्थ कोई तरल हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और कोई भी ज्वलनशील मिश्रण (तरल, चिपचिपा या ठोस) जिसमें कोई भी होतरल हाइड्रोकार्बन लेकिन इसमें आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी तेल शामिल नहीं है लुब्रिकेटिंग उद्देश्य और फ्लैश पॉइंट होना या लगभग 93.3 डिग्री सेंटीग्रे।

आई) पोर्ट" का अर्थ है न्यू तूतीकोरिन का प्रमुख पत्तन

जे) "पत्तन प्राधिकरण" का अर्थ है संरक्षक न्यू तूतीकोरिन का प्रमुख पत्तन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें का कोई अन्य अधिकारी शामिल होता है। संरक्षक, न्यू के प्रमुख पत्तन के अधिकार के तहत पत्तन अभिनय तूतीकोरिन

के) "टैंकर" का अर्थ है एक मालवाहक जहाज जिसका निर्माण या परिवहन के लिए अनुकूलित किया गया है ज्वलनशील प्रकृति के तरल कार्गो के थोक

एल) "यातायात प्रबंधक" से तात्पर्य उस समय यातायात के प्रभारी अधिकारी से है बंदरगाह में संचालन और उप यातायात प्रबंधक शामिल हैं और सहायक यातायात प्रबंधक और प्राधिकरण के अधीन कार्य करने वाला कोई अन्य अधिकारी यातायात प्रबंधक की।

भाग II - पत्तनों में जहाजों का प्रवेश

3. जहाज के आने की संभावना की सूचना - (1 ए) जब एक जहाज के आने की उम्मीद है आने के लिए, उसके एजेंट अपेक्षित समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले पहुंचेंगे आगमन, यातायात प्रबंधक को एक प्रति के साथ उप संरक्षक को एक नोटिस भेजें।

बी) विशेष बर्थ ए भारी लिफ्ट क्रेन के संबंध में कोई विशेष आवश्यकताएं और अन्य बातों को ऐसे नोटिस में दर्शाया जाएगा। विस्तृत विशेष मदों के साथ पत्तन पर उतरे जाने वाले कार्गो का विवरण कार्गो और भारी लिफ्टों को उनके भंडारण के साथ अलग से दिखाया गया है और कार्गो हैचवाइज का वितरण या तो जहाजों से जुड़ा होगा आगमन सूचना या आगमन से कम से कम 24 घंटे पहले भेजा जा सकता है पोत और यह कार्गो सलाह तीन प्रतियों में होगी।

प्रकृति के बारे में सभी जानकारी के साथ उसे अवगत कराएं, मात्रा, कार्गो का भंडारण जो वे काम करने का इरादा रखते हैं और ऐसी जानकारी भी पोत के संबंध में जो उसे उपयुक्त बर्थ पर बर्थिंग करने के लिए आवश्यक होगा।

(4) बर्थ का आवंटन - (1) एक जहाज का पत्तन में बर्थ के लिए कोई दावा नहीं होगा जब तक यातायात प्रबंधक द्वारा विशेष रूप से आवंटित नहीं किया जाता है और सूचना दी जाती है, उप संरक्षक द्वारा इस तरह के आवंटन की।

(2) पत्तन में किसी भी बर्थ का आवंटन केवल तब तक अस्थायी माना जाएगा जब तक एक पोत वास्तव में पत्तन में प्रवेश करने के लिए तैयार है और उसके लिए उपयुक्तता और अधिकारएसी बर्थ यातायात प्रबंधक की संतुष्टि के लिए स्थापित की जाती है।

(3) कुछ जहाजों के लिए प्राथमिकता - बर्थ का आवंटन के भीतर होगा यातायात प्रबंधक के विवेक और अत्यावश्यकताओं के अधीन, जहाज को पहली बार देखा गया और सिग्नल स्टेशन द्वारा पहचाने जाने को प्राथमिकता दी जाएगी,

बशर्ते कि सरकारी जहाज सैनिकों को उतारते या उतारते हों यात्री जहाजों और जहाजों का कोई अन्य वर्ग जो संरक्षक समय-समय पर कर सकता है इस संबंध में घोषित समय बर्थिंग में प्राथमिकता की डिग्री के लिए पात्र होगा।

(6) बर्थ आवंटित करने से इंकार - यदि यातायात प्रबंधक को लगता है कि वहाँ अच्छा है और पोत को पत्तन में प्रवेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस मामले को संदर्भित कर सकता है उप संरक्षक और उप संरक्षक का निर्णय लंबित है वह बर्थ आवंटित करने से इंकार कर सकता है।

(7) जहाजों की कमान में मास्टर होना - एक जहाज को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी या पत्तन को छोड़ दें या पत्तन में एक बर्थ से दूसरी बर्थ में ले जाया जाए जब तक कि मास्टर बोर्ड पर हैय बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में जैसे कि मृत्यु या गुरु की गंभीर बीमारी, में विशेष व्यवस्था की जा सकती है उप संरक्षक के साथ परामर्श।

(8) उप संरक्षक द्वारा दिए गए कुछ निर्देशों का पालन किया जाना - परास्नातक और जहाजों के मालिक उप संरक्षक के सभी निर्देशों का पालन करेंगे पत्तन के प्रवेश द्वार और आने के रोटेशन और तरीके के संबंध में पत्तन में या बाहर जाना।

(9) पत्तन में प्रवेश करना या छोड़ना - पत्तन में प्रवेश करने या छोड़ने पर सभी समुद्री जहाज उप-उदय और सूर्यास्त के बीच अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा, और प्रवेश करते समय पत्तन प्रत्येक पोत उसके संकेत पत्र फहराएगा।

(10) जहाजों का संचालन - (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शर्तों को छोड़कर सभी जहाजों के लिए पायलटें अनिवार्य हैं जिन्हें विशेष रूप से उप संरक्षक द्वारा लिखित रूप में छूट दी गई है या इस संबंध में उनके द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शर्तें इस प्रकार हैं अर्थात्: -

ए) मास्टर पायलट के संबंध में सभी सूचनाओं की आपूर्ति करेगा संगरोध, बोर्ड पर खतरनाक सामान, जहाज का मसौदा और मामले जहाज के व्यवहार से संबंधित है और पूरा होने पर पायलटें और बर्थिंग या अनबर्थिंग, पूर्ण करें और हस्ताक्षर करें पायलट द्वारा प्रस्तुत निर्दिष्ट प्रपत्रों पर प्रमाण पत्र।

बी) एक आउटगोइंग पोत की सीमा के बाहर एक पायलट को ले जाने की स्थिति में अपरिहार्य कारणों से खंड (ए) में निर्दिष्ट मास्टर करेगा अगले निकटतम बंदरगाह पर पायलट को छोड़ने के लिए बाध्य हो और होगा इस खाते पर किए गए सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी।

सी) एक जहाज के मास्टर के प्रावधानों के अनुसार होगा अधिनियम ऐसे सिग्नल प्रदर्शित करें जो पायलट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक हों या जैसा कि पायलट द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

डी) (i) पत्तन में प्रवेश करने या छोड़ने वाले प्रत्येक पोत को एक के साथ प्रदान किया जाएगा भारतीय व्यापारी के अनुपालन में कुशल पायलट सीढ़ी नौवहन (पायलट सीढ़ी) नियम, 1953।

(ii) यदि कोई पायलट जहाज द्वारा प्रदान की गई रस्सी की सीढ़ी या मैनरोप पर विचार करता है असुरक्षित होने के कारण, वह उसे बोर्ड करने या छोड़ने से मना कर सकता है, जैसा भी मामला हो सकता है, जब तक एक मजबूत और कुशल सीढ़ी और कठोर मानव-रस्सी आवश्यकतानुसार प्रदान की जाती हैं।

ई) जहाजों को बाहरी चैनल फेयरवे के भीतर लंगर नहीं डालना चाहिए फेयरवे बाँय या किसी भी से समान दूरी पर प्रवेश चैनल अन्य निषिद्ध लंगर, न ही कोई गुरु प्रवेश करने का प्रयास करेगा चैनल एक पायलट लेने के लिए।

(एफ) (i) यदि एक पायलट के बोर्ड पर होने के दौरान जहाज के साथ कोई दुर्घटना होती है और यदि जहाज के मालिक को के संबंध में कोई शिकायत करनी है पायलट के आदेश के तहत पोत का संचालन, या पायलट द्वारा ड्यूटी पर उनके द्वारा दी गई सलाह, वह इस बारे में रिपोर्ट करेगा दुर्घटना एक बार में उप संरक्षक जो करेगा तुरंत विभागीय जांच कराएं।

(ii) यदि दुर्घटना उस समय होती है जब जहाज बंदरगाह से बाहर जा रहा होता है तो मास्टर उसकी तरफ से पूरी रिपोर्ट सीधे उप संरक्षक को भेजेंकॉल का अगला पोर्ट।

(iii) इस रिपोर्ट के साथ किसी गवाह का हस्ताक्षरित बयान होना चाहिए विचाराधीन घटना के लिए

जी) एक जहाज तनाव में पायलट के बिना बंदरगाह छोड़ सकता है उप से ऐसा करने का अधिकार प्राप्त करने के बाद मौसम का संरक्षक और उसके बंदरगाह सिग्नल स्टेशन को सूचित करने के बाद ऐसा करने का इरादा।

11. पोर्ट टग्स का उपयोग - इसका लाभ उठाने के लिए एक जहाज के मास्टर पर निर्भर होगा पोर्ट सीमा के भीतर नेविगेट करते समय पोर्ट टग्स की सेवाएं।

12. फोटोग्राफ लेना आदि - कोई भी व्यक्ति, के अधिकार के अलावा, नहीं करेगा यातायात प्रबंधक द्वारा दिया गया लिखित

ए) तस्वीरें या कोई सामग्री लेने के लिए उसके पास एक कैमरा है या ले जाएगा एक स्केच ए योजनाए मॉडल या अन्य उपकरण बनाने के लिए,

बी) कोई भी तस्वीर लें या किसी का कोई स्केच योजना या मॉडल बनाएं चल या अचल वस्तु या किसी के भीतर भवन स्थापना बंदरगाह की सीमा या कोई अन्य क्षेत्र जिसे संरक्षक द्वारा घोषित किया गया हो समय - समय पर।

13. तारों, हॉवर्स आदि की आपूर्ति - पत्तन में प्रवेश करने वाले जहाजों में होना चाहिए इस तरह के स्टील के तार, रस्सियों और अन्य हॉंसरों की आपूर्ति के लिए तत्परता के रूप में आवश्यक हो सकता है साथ में बर्थिंग की सुविधा।

14 पोत के चालक दल और उपकरण तैयार होने के लिए (i) मास्टर या मालिक जहाज पर्याप्त संख्या में चालक दल को नियुक्त करेंगे, और तैयार रहेंगे जैसे बोर्ड पर उपकरण जो उनके जहाजों के अंदर और बाहर काम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं पत्तन दृष्टिकोण चैनल और बंदरगाह में।

2. चूक में या जब भी आवश्यक हो, उप संरक्षक करेंगे इतनी संख्या में कर्मियों को नियुक्त करें, और ऐसे उपलब्ध कराएं उपकरणों के रूप में वह के खर्च पर आवश्यक समझ सकता है मालिक या मालिक।

15. अन्य सावधानियाँ - (1) जहाज में प्रवेश करते ए छोड़ते या चलते समय बंदरगाह या घाट घाट या बुवाई के लिए सुरक्षित होने पर उनके लंगर को अलग करने की स्थिति में दोनों एंकर किसी भी समय बंद करने के लिए तैयार होंगे।

2. पत्तन में प्रवेश करने, छोड़ने, स्थानांतरित होने या झूठ बोलने पर जहाज घाटों या घाटों के साथ-साथ उनके किनारे बिल्कुल भी मुक्त हों अनुमानों और उनकी नावों को घुमाया जाएगा बोर्ड पर और गैंगवे सीढ़ी को बोर्ड पर रखा जाएगा।

3. जहाजों के स्वामी और मालिक सभी के लिए जिम्मेदार होंगे दुर्घटनाएं जो इनमें से किसी को अपनाने में विफलता के परिणामस्वरूप हो सकती हैं उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट सावधानियाँ।

16. पत्तन के प्रवेश द्वार के बाहर पड़े जहाजों को ले जाया जाना है।- (1) एक जहाज पड़ा हुआ है बंदरगाह के प्रवेश द्वार के पास बंदरगाह में या चैनल के फेयरवे में, या निकट बंदरगाह के पायलटेज जल में प्रवेश चैनल को द्वारा हटा दिया जाएगा उप संरक्षक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर स्वामी या स्वामी।

(2) यदि ऐसा निष्कासन तत्काल प्रभाव से नहीं किया जाता है, तो इसे आदेशों के तहत किया जाएगा और जोखिम और खर्च पर उप संरक्षक के निर्देश ऐसे पोत का स्वामी या स्वामी।

भाग III पत्तन में जहाजों के लिए विनियम

17. मास्टर आदि। अपने जहाजों को अपनी बर्थ में रखने के लिए - (1) बंदरगाह के भीतर सभी जहाज वे ऐसी बर्थ ग्रहण करेंगे जो उन्हें यातायात प्रबंधक द्वारा सौंपी जा सकती हैं या उप संरक्षक और अपनी बर्थ बदल देंगे या आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरित कर देंगे उक्त अधिकारियों की।

(2) कोई भी पात्र उस ताने को नहीं उतारेगा, जो उसके लिए पात्र की सहायता के लिए बाँधा गया हो पायलट या हार्बर मास्टर द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता के बिना चल रहा है चलने वाले जहाज के प्रभारी।

18. काम न करने पर हैचवे को बंद करना:- जब माल काम नहीं कर रहा हो तो पोत सभी हैचवे बंद या अच्छी तरह से संरक्षित होंगे।

19. डिप्टी के आदेश के तहत पोर्ट में मूरिंग, अनमूरिंग और मूर्विंग बेसल संरक्षक - (1) जहाजों के स्वामी या मालिक के निर्देशों का पालन करेंगे, और मूरिंग के संबंध में उप संरक्षक को कोई बाधा नहीं देगा, बंदरगाह में किसी जहाज का मूरिंग या हिलना।

2. एक पोत को उसके बर्थ से बिना के स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी उप संरक्षक के लिखित में पिछले आदेश।

3. यदि आवश्यक हो तो उप संरक्षक ऐसी कार्रवाई करेंगे उसके आदेशों को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकता है और में किए गए किसी भी खर्च ऐसी कार्रवाई करना, किसी भी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिस पर स्वामी या मालिक डिफॉल्ट रूप से उत्तरदायी हो सकता है। ऐसे स्वामी या मालिक द्वारा देय हो सकता है।

4. जहाजों के पराम्नातक उप संरक्षक से अधिकतम का पता लगाएंगे ट्राफ्ट जिसमें उनके जहाज लोड हो सकते हैं।

20. अनुचित रूप से मूरिंग - बंदरगाह में जहाजों के स्वामी या मालिक अनुमति नहीं देंगे उनके जहाजों की रस्सियों या हौसरो को किसी भी स्थान या स्थान पर तेजी से बनाया जाना चाहिए बोलाईए मूरिंग पोस्ट या विशेष रूप से प्रदान किए गए अन्य उपकरणों के अलावा बंदरगाह उद्देश्य के लिए।

21. पोतों को सक्षम व्यक्ति का प्रभारी होना - जब कोई पोत बंदरगाह में रहता है, मास्टर या कोई अन्य जिम्मेदार अधिकारी और पर्याप्त संख्या में चालक दल हमेशा बोर्ड पर रहें।

22. गोदी पर रखा जाने वाला चौकीदार- (1) बंदरगाह में एक जहाज एक क्वार्टर का रखरखाव करेगा डेक पर हमेशा ड्यूटी पर मास्टर या चौकीदार जो इसका प्रभारी होगा पोत के किनारे गैंगवे और पोत की मूरिंग रस्सियों और लाइनों में भाग लेते हैं और वह उनके समायोजन के लिए भी जिम्मेदार होगा और चूक के मामले में, इस तरह के परिणाम के रूप में किसी भी क्षति के लिए मास्टर या जहाज का मालिक उत्तरदायी होगा चूक।

23. पोत के प्रोपेलर का काम नहीं किया जाना - (1) जबकि एक जहाज को में बांधा या बांधा गया है बंदरगाह, किसी भी प्रोपेलर को पिछले लिखित के बिना बिजली से नहीं ले जाया जाएगा उप संरक्षक की अनुमति और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह कर सकते हैं सीधे।

2. ऐसी अनुमति के बावजूद स्वामी और मालिक जिम्मेदार होंगे किसी भी प्रोपेलर को शक्ति द्वारा हिलाने के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी क्षति के लिए या हाथ।

24. पत्तन आदि में गिरा हुआ लंगर या अन्य गियर बरामद किया जाना - मास्टर होगा किसी भी लंगर या अन्य गियर की तत्काल उद्धार के लिए जिम्मेदार हो सकता है पत्तन में अपने जहाजों से पानी में गिरा दिया और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे किसी ऐसे लंगर या गियर के पानी से निकालने के लिए।

25. वेसल्स को ठीक से बैलास्टेड किया जाना चाहिए - पोर्ट में वेसल्स को इस तरह लोडेड रखा जाएगा या कहा कि आग या अन्य आपात स्थिति में उन्हें यहां से हटाया जा सकता है खतरे के बिना उनकी बर्थ।

26. जहाजों की मरम्मत - मरम्मत करने के इच्छुक मास्टर को इसमें शामिल होना आवश्यक है निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखें अर्थात्।

i. पहले से अनुमति प्राप्त किए बिना जहाजों को स्थिर नहीं किया जाएगा ।

ii. बर्थ की आवश्यकता होने पर जहाजों को बर्थ से स्थानांतरित किए जाने की संभावना है अन्य जहाजों द्वारा माल काम करने के लिए।

iii. उप संरक्षक यदि वांछनीय समझा जाता है छिलने पर रोक लगा सकता है या मरम्मत के कारण 10.00 से 17.00 बजे के बीच अत्यधिक शोर होता है।

iv. मरम्मत जिसमें नग्न रोशनी, गैस काटने और वेल्डिंग उपकरण का उपयोग शामिल है

करने के लिए जिसमें पेट्रोलियम का भंडारण किया जा सकता है तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक कि गैस मुक्त न हो उपयुक्त प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

27. माल आदि को बंदरगाह में गिरने की अनुमति नहीं - कोई माल, माल या कोई अन्य नहीं पदार्थ को किसी भी पोत, घाट या घाट से बंदरगाह में गिरने दिया जाएगा चैनल या बंदरगाह में।

28. माल माल आदि के पानी में गिरने की सूचना - कोई भी व्यक्ति या किसी भी जहाज का मालिक या मालिक या स्टीवडोर किसी को लदान या उतारने में लगा हुआ है जहाज जो किसी भी माल, माल या पदार्थ को किसी भी पोत घाट से गिरने की अनुमति देता है या पानी में घाट तुरंत घटना की सूचना देगा और सभी को प्रस्तुत करेगा यातायात प्रबंधक और उप संरक्षक से संबंधित विवरण और उक्त कार्गो, माल या पदार्थ को वहां से हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा पानी उनकी कीमत पर

29. कूड़ाकरकट आदि का पानी में गिर जाने पर माल की वसूली - यदि कोई व्यक्ति स्वामी या किसी भी माल माल को हटाने के लिए नियम 28 के तहत एक जहाज या स्टीवडोर के मालिक की आवश्यकता होती है या पानी से अन्य पदार्थ, ऐसे समय के भीतर निकालने में विफल रहता है जैसा कि किया गया है उप संरक्षक की ओर से एक नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है जिससे उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है उप संरक्षक ऐसे कार्गो, माल या पदार्थ और किसी भी खर्च को हटा सकता है ऐसे निष्कासन में व्यय व्यक्ति, स्वामी, स्वामी या से वसूल किया जाएगा स्टीवडोर, किसी भी अन्य दंड के पूर्वाग्रह के बिना, जिस पर व्यक्ति, मालिक या स्टीवडोर उत्तरदायी हो सकता है।

30. राख, कूड़ाकरकट आदि खदानों आदि पर जमा नहीं करना है। अनुमति के बिना - नहीं व्यक्ति यातायात प्रबंधक के अधिकार के बिना किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर जमा करेगा या शेड में या बंदरगाह के किसी भी हिस्से में किसी भी राख, गिट्टी, टोकरी, बोतलें, सिंडर, गंदगी, गोबर कचरा, कचरा, छीलन, भंडार या अन्य समान ढीली सामग्री या पदार्थ।

31. पत्तन में गिरने वाली सामग्री की रोकथाम राख का निपटान आदि - (1) मास्टर या जहाज या स्टीवडोर के मालिक लोडिंग या अनलोडिंग, राख, गिट्टी, ईंटें, सिंडर, कोयला, धूल-गिट्टी, कूड़ाकरकट, दाद, पत्थर, टाइल या कोई अन्य ढीली सामग्री का उपयोग किया जाएगा, कैनवास के कपड़े या लकड़ी के ढलान को लोड करने या उतारने के लिए, की संतुष्टि के लिए उप संरक्षक।

2. राख, कुंड, धूल और कूड़ा-करकट ऐसे स्थानों पर घाट पर गिराया जाएगा जैसा कि ट्रैफिक मैनेजर और मास्टर मालिक या द्वारा निर्देशित किया जा सकता है

स्टीवडोर्स, जैसा भी मामला हो, उन्हें ऐसे स्थान से हटा सकता है।

32. ऑयली बिल्ज पानी आदि। पोर्ट में पंप नहीं किया जाना चाहिए - कोई गिट्टी वाला पानी नहीं है तेल खराब हो सकता है या पानी को दूषित करने में सक्षम किसी भी बर्तन से छोड़ा जाएगा पत्तन में।

2. यदि जहाज के चारों ओर कोई तेल तैरता हुआ पाया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी गुरु साबित करने के लिए कि यह उसके जहाज से नहीं है।

33. जहाजों की सफाई - किसी भी व्यक्ति को सफाई या पेंटिंग में नियोजित नहीं किया जाएगा पोत या बंदरगाह में एक बर्तन के बिल्ज बॉयलर या डबल बॉटम में काम करने में ऐसे समय के अलावा जो इस संबंध में संरक्षक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

34. पोत के डेक से प्रक्षेपण - किसी भी पोत के डेक से अनुमान जो पत्तन में किसी अन्य पोत के लदान या उतराई में बाधा डालता है यातायात प्रबंधक के अनुरोध पर तत्काल हटाया जा सकता है।

35. फेंडर - घाट पर बंदरगाह द्वारा उपलब्ध कराए गए फेंडर, जेट्टी बर्थ नहीं होंगे स्वामी या उनके स्टीवडोर द्वारा उठाया या हटाया गया।

36. ध्वनि संकेत - ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्वनि संकेतों का उपयोग निषिद्ध है उद्देश्यों को छोड़कर बंदरगाह की सीमा के भीतर जहाजों पर सवार होना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के विनियम 34, 35, 36 और 37 में निर्दिष्ट समुद्र में टकराव की रोकथाम, 1972 और नए टकराव नियम और के मामले में आपात स्थिति जब तट से सहायता की तत्काल आवश्यकता होती है पोत की सुरक्षा या जब प्रभारी पायलट ऐसा सोचता है।

37. नावों आदि का डूबना— पत्तन में किसी पोत का स्वामी या स्वामी, जिसके बगल में कोई माल, मसूला या अन्य नाव माल ले जाते समय डूब जाती है या यात्री या कार्गो या यात्री का निर्वहन, तत्काल इस तरह के तथ्य की रिपोर्ट करेगा डूबने और वह स्थान जहां उप संरक्षक को हुआ था।

38. खतरनाक जानवर और आग्नेयास्त्र - खतरनाक जानवर और भरी हुई बंदूकें या आग्नेयास्त्रों को पत्तन में किसी पोत पर न तो रखा जाएगा और न ही उस पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

39. खतरनाक कार्गो आदि वाले जहाज - उप संरक्षक आदेश दे सकते हैं जानवरों की खाद वाले सभी जहाजों के बंदरगाह से तत्काल हटाना या

अन्य आक्रामक या खतरनाक कार्गो या संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति।

40. नुकसान के लिए जिम्मेदार जहाजों के पराम्नातकए आदि - मास्टर्स और के मालिक जहाजों में से किसी को हुए नुकसान के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा अपने नौकरों की लापरवाही के कारण पत्तन की स्थापना या संपत्ति और उप संरक्षक को अपने जहाजों को तब तक रोके रखने का अधिकार होगा जब तक कि उनका मूल्य नुकसान या क्षति का भुगतान किया जाता है या ऐसे भुगतान के लिए सुरक्षा दी जाती है।

41. पत्तन में पोत आदि मास्टर आदि के जोखिम पर – पत्तन में सभी पोत पर स्थित हैं अपने मालिक या मालिकों का जोखिम जो किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो उनके दोषपूर्ण नेविगेशन के परिणामस्वरूप या उनके कारण उत्पन्न हो सकते हैं अपने लंगर या लंगर से अलग होकर टूटना।

42. पराम्नातक आदि। चालक दल आदि के कृत्यों के लिए जिम्मेदारी - के स्वामी और मालिक जहाजों को चालक दल और किसी भी व्यक्ति के कृत्यों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार ठहराया जाएगा उनके द्वारा या तो बाहर या बोर्ड पर, उनके जहाजों द्वारा नियोजित।

43. पत्तन प्राधिकरण विलंब आदि के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करते - पत्तन प्राधिकरण नहीं करेंगे जहाज में प्रवेश करनेए उसमें रहने या बाहर जाने के संबंध में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी होगा बंदरगाह या परिस्थितियों के स्वामित्व वाले माल की लोडिंग या अनलोडिंग में देरी के लिए उनके नियंत्रण से परे।

44. जहाजों में आग लगने के संबंध में मास्टर्स आदि द्वारा दी जाने वाली सूचना-(1) किसी भी व्यक्ति को जहाज में आग लगने की सूचना तुरंत:-

ए) जहाज के एक अधिकारी को सूचित करें जो उठाने के लिए जिम्मेदार होगा उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार अलार्म।

बी) यदि जहाज एक घाट के साथ है तो आग को किनारे पर समझें और उठाएं उप-नियम (2) के तहत आवश्यक अलार्म और एक अधिकारी को भी सूचित करें जहाज जो प्रावधानों के अनुसार अलार्म भी बजाएगा उपनियम (2) का।

2. अलार्म बजने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाएगा अर्थात्: -

1. दिन-ब-दिन तैरते-उतरते अंतरराष्ट्रीय ध्वज श्डीक्यूश की आवाज लगातार बजती रहती है

आग के तैरने तक जहाज की सीटी या जलपरी।

2. रात में तैरते रहें - ऊपर बताए अनुसार सीटी या सायरन की आवाज दो लाल बत्तियां एक अन्य 6 (छह) फीट के अलावा। जब जहाज अलार्म के साथ हों उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा टेलीफोन द्वारा उठाया गया।

3. दिन हो या रात में तट - (1) निकटतम टेलीफोन पर दौड़ें और पोर्ट को रिंग करें
एक्सचेंज और कनेक्ट होने पर स्पष्ट रूप से बताएं
जहाज में आग
आग आश्रय पर

(2) पोर्ट पीवीएक्स ऑपरेटर इस बात का ध्यान रखेगा कि पोर्ट से कनेक्शन दमकल सेवा बिना किसी देरी के दी जाती है।

45. पानी के भीतर बचाव या मरम्मत का प्रतिषेध - कोई भी व्यक्ति किसी का बचाव नहीं करेगा
एंकर ए केबल ए स्टोर या कार्गो के लिए खो गया है या उसमें या उसके नीचे खो जाना चाहिए
उप की पूर्व अनुमति के बिना जहाजों में पानी की मरम्मत के तहत ले जाया गया
संरक्षक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी।

भाग IV . खदानों और शेडों के संबंध में नियम जहाजों की लोडिंग और अनलोडिंग, और डिलीवरी के लिए और माल की शिपमेंट।

46. यातायात प्रबंधक के अधीन पोर्ट में कार्य - (1) की लोडिंग और अनलोडिंग पत्तन में पोत यातायात प्रबंधक के नियंत्रण के अधीन होंगे जो निम्नलिखित कर सकते हैं:
उसका विवेक पत्तन में ऐसे माल के निर्वहन पर रोक लगाता है जो उसकी राय में यातायात में बाधा डालने या भीड़भाड़ पैदा करने या सुविधाजनक उपयोग में बाधा डालने की संभावना है बंदरगाह।

2. यातायात प्रबंधक अपने विवेक से किसी अन्य स्थान को भी हटा सकता है माल का भंडारण जिसका बंदरगाह परिसर में या तो उनके उतरने पर पत्तन या उसके बाद, यातायात में बाधा डालने या भीड़भाड़ का कारण बनने की संभावना है।

3. प्रत्येक पोत द्वारा कब्जा किए जाने वाले क्वे स्पेस का विभाजन इसी तरह यातायात प्रबंधक द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

47. क्रेन का उपयोग - आयात कार्गो के निर्वहन के लिए क्रेन का आवंटन या निर्यात कार्गो लोड करने के लिए यातायात प्रबंधक के विवेक पर होगा।

48. बेकार पड़े जहाज - यातायात प्रबंधक अपने विवेक से उससे हट सकता है

बर्थ, या पल्लन से बाहर आदेशए कोई भी जहाज जो उसकी राय में निष्क्रिय रहा है
पल्लन

49. धीरे-धीरे काम करने वाले जहाज - आयात कार्गो या अनलोडिंग का निर्वहन करने वाला जहाज
पल्लन में निर्यात कार्गो को अपनी बर्थ छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है यदि की राय में
ट्रैफिक मैनेजर की डिस्चार्ज या लोडिंग की दर समान के लिए औसत से कम है
जहाजों और समान कार्गो के लिए।

50. काम करने वाले कार्गो से पहले जहाजों को बांधा जाना चाहिए - माल को या में लोड नहीं किया जाएगा
पल्लन में एक जहाज से तब तक उतार दिया जाता है जब तक कि जहाज को आवंटित नहीं किया जाता है
बर्थ।

51. थोक तोड़ने से पहले या के शुरू होने से पहले मैनिफेस्ट का उत्पादन
लदान - (1) (ए) माल ढोने वाले जहाज के एजेंट के मालिक, मालिक
बंदरगाह पर निर्वहन यातायात प्रबंधक को, की एक सच्ची प्रति के साथ प्रस्तुत करेगा
पूर्ण आयात सामान्य प्रकट होने से कम से कम छह स्पष्ट कार्य दिवस पहले
थोक तोड़ने की अनुमति दी।

बी) मैनिफेस्ट में ऐसी खेप का पूरा विवरण होगा
थोक और सकल में तरल पदार्थ के मामले में साक्षरता सहित प्रकट
अन्य मामलों में किलो में वजन।

सी) निर्धारित समय के भीतर इस तरह के मैनिफेस्ट को जमा न करना
परिणामस्वरूप संबंधित पोत को बल्क ब्रेक करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

डी) जहां खेप में अलग-अलग वजन के पैकेज होते हैं,
प्रत्येक पैकेज की मीट्रिक प्रणाली में सकल भार होगा
इसके अलावा सुसज्जित।

ई) लोहे और इस्पात की खेपों के मामले में हैच सूचियों को दर्शाता है

ए) विवरण (बी) मात्रा और (सी) प्रत्येक में मीट्रिक प्रणाली में वजन

है, बल्क को तोड़ने की अनुमति देने से पहले भी प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी अन्य बंदरगाह या पोतांतरण के लिए अभिप्रेत कार्गो को होने की अनुमति है छुट्टी दे दी गई, सकल भार का पूरा विवरण देने वाला एक पूरक मैनिफेस्ट, में ऐसे कार्गो के निर्वहन की अनुमति दिए जाने से पहले मीट्रिक प्रणाली दायर की जाएगी। यदि ऐसी खेपों का विवरण मूल में पहले से शामिल नहीं है पोत के लिए सामान्य घोषणा क्षेत्र आयात करें।

3. (ए) माल के शिपमेंट के लिए प्रस्तुत प्रत्येक निर्यात आवेदन और प्रत्येक यातायात प्रबंधक के कार्यालय में प्रस्तुत सीमा शुल्क निर्यात शिपिंग बिल देय राशि के निर्धारण के लिए कवर किए गए खेपों का पूरा विवरण दिखाएगा कार्गो के विवरण सहित दस्तावेजों द्वारा, कार्गो की मात्रा और मीट्रिक प्रणाली में प्रत्येक खेप का सकल भार जिसमें शामिल हैं थोक में तरल पदार्थ के मामले में साक्षरता।

बी) जहां खेप में अलग-अलग पैकेज होते हैं
भार, प्रत्येक पैकेज की मीट्रिक प्रणाली में सकल भार
इसके अलावा सुसज्जित किया जाएगा।

(4) बंदरगाह से प्रस्थान करने वाले एक व्यापारी जहाज के एजेंट चाहे लोडेड या गिट्टी में उसके प्रस्थान के तीन दिन पहले प्रस्तुत करेगा यातायात प्रबंधक उसके निर्यात घोषणापत्र की प्रति के साथ।

52. शिपर और परेषितियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :- (1) के लिए सभी आवेदन माल के निर्यात या आयात की अनुमति ऐसे रूपों में दी जाएगी जो द्वारा अनुमोदित हैं यातायात प्रबंधक और ऐसे प्रपत्र सभी मामलों में सही ढंग से भरे जाने चाहिए और माल के शिपर या परेषिती या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित।

2. ट्रैफिक मैनेजर द्वारा कॉल करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक होने पर छोड़कर उनके निरीक्षण के लिए शिपर्स द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे या माल की शिपिंग या लैंडिंग के समय परेषिती या उनके एजेंट।

3. जब कार्गो को आवेदन में दर्ज किए गए जहाज के अलावा किसी अन्य पोत द्वारा भेज दिया जाता है इसे शिप करने की अनुमति के लिए यातायात के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा प्रबंधक।

53. पैकेज खोलना - बंदरगाह के अंदर कोई पैकेज नहीं खोला जाएगा मूल्यांकन, परीक्षा या सर्वेक्षण के लिए आयातक निर्यातक या मालिक, यातायात प्रबंधक की अनुमति के बिना।

54. लोहा, इस्पात मशीनरी पैकेज, लंबी और भारी भारी लिफ्टों को हटाना पोर्ट-कंसाइनमेंट या आयरन स्टील, मशीनरी पैकेज लंबे और बोझिल से बंदरगाह में उतरे भारी लिफ्ट को यातायात प्रबंधक द्वारा अपने स्थान पर हटाया जा सकता है

माल के मालिकों, या आयातकों की कीमत पर किसी अन्य स्थान पर विवेकाधिकार और बिना किसी पूर्व सूचना के यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो बंदरगाह का सुरक्षित और सुविधाजनक संचालन।

55. टिम्बर डिस्चार्जिंग - टिम्बर को किसी बर्तन के ऊपर से नहीं छोड़ा जाएगा यातायात प्रबंधक के अनुमोदन के बिना पानी में और यदि ऐसा है तो छुट्टी दे दी जाती है, इस तरह के निर्वहन के बाद अगले उच्च ज्वार पर बंदरगाह से हटा दिया जाएगा।

56. कोयले या किसी अन्य गंदे माल का निर्वहन और शिपमेंट - (1) निर्वहन और कोयले या अन्य गंदे माल का थोक में या अन्यथा जहाजों से और में शिपमेंट पोर्टे केवल ट्रैफिक मैनेजर की लिखित अनुमति से ही प्रभावी हो सकता है जो ऐसे मामलों में ऐसी अनुमति से इंकार कर सकता है जहां किसी भी नुकसान या क्षति को मानता है कोयले या इसी तरह की धूल से संपत्ति उत्पन्न होने की संभावना है जो इस तरह के निर्वहन के कारण होती है या शिपमेंट।

2. भारी मात्रा में कोयला या अन्य गंदे माल के निर्वहन या जहाज के लिए अनुमति दी गई है या अन्यथा किनारे पर और से आयातक या शिपर के अधीन होगा या उनके मान्यता प्राप्त एजेंट सफाई की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं अवशेषों का घाट।

57. कलाए बुलियनए आदि की कृतियाँ - (1) पत्तन प्राधिकरण किसी को स्वीकार नहीं करेंगे कला का एक काम या के एक लेख युक्त किसी भी पैकेज के संबंध में जिम्मेदारी जिसके आधार पर पैकेज सहित मूल्य रुपये से अधिक है। 50 या मुद्रा, बुलियन, सोने या चांदी की वस्तुएं, आभूषण कीमती पत्थर या मूंगा युक्त, जब तक पैकेज के उतरने या बंदरगाह में लाने से कम से कम छह घंटे पहले शिपमेंट के लिए, मालिक द्वारा ट्रैफिक मैनेजर को लिखित नोटिस दिया जाता है या कंसाइनी और पैकेज विशेष रूप से ट्रैफिक मैनेजर और रसीद को दिया जाता है उसके प्राप्त।

2. यदि ऊपर उल्लिखित किसी भी वस्तु से युक्त कोई पैकेज लाया जाता है कोई घाट या घाट यातायात को बिना किसी लिखित सूचना के दिया जा रहा है प्रबंधक, पैकेज, यदि निर्यात के लिए भेज दिया जाएगा, या यदि आयात किया जाएगा, तो होगा के एकमात्र जोखिम पर सीमा शुल्क हाउस या पोर्ट शेड में हटा दिया गया मालिक और मंजूरी मिलने तक अपने जोखिम पर रहेगा।

58. माल की लोडिंग और अनलोडिंग से बंदरगाह के घाट खराब होने की संभावना :- (1) शीरा और प्रकृति के अन्य सामान बंदरगाह घाटों या ट्रांजिट शेड को खराब कर सकते हैं या अन्य सामानों को नुकसान पहुंचाने का कारण केवल बंदरगाह में एक जहाज से छोड़ा जा सकता है यातायात प्रबंधक की अनुमति और मालिक या परेषिती के अधीन माल पत्तन प्राधिकारियों को उसके द्वारा किए गए व्यय, यदि कोई होए का भुगतान करने का वचन देता है उन्हें घाट या ट्रांजिट शेड को साफ करने के लिए।

2. (ए) ड्रम या अन्य रिसेप्टेकल्स से बंदरगाह घाट पर डिंकटिंग के सब्जी, मछली या अन्य तेल, थोक में उनके शिपमेंट की तैयारी नहीं करनी चाहिए अनुमति दी जाए।

बी) जहां तेल के थोक में शिपमेंट को प्रभावित किया जाना है, वहां तेल होना चाहिए टैंक वैगनों, या टैंक लॉरियों में बंदरगाह पर ले जाया गया और सीधे पंप किया गया वहाँ से पोत के टैंकों में, या जहाँ तेल का परिवहन किया गया है टैंक बार्ज, बार्ज से सीधे पोत के टैंक में।

59. सड़े हुए माल को घाटों से हटाना - यदि कोई पोत बंदरगाह में उतरता है ऐसी सड़ा हुआ सड़ी हुई क्षतिग्रस्त या अन्य स्थिति में कोई सामान या पदार्थ बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारी की राय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या खतरनाक या यदि कोई सामान या पदार्थ किसी पोत से उतारे जाते हैं और बंदरगाह में पड़े हैं तो क्षय हो जाते हैं ऐसी सड़ा हुआ, सड़ा हुआ या अन्य स्थितियों में जो हानिकारक या खतरनाक हो स्वास्थ्य उक्त स्वास्थ्य अधिकारी की राय में, यातायात प्रबंधक की आवश्यकता हो सकती है उसका स्वामी, या यदि स्वामी खेप को अस्वीकार करता है, इनकार करता है या विवाद करता है या सभी उत्तरदायित्वों को अस्वीकार करता है या यदि कोई स्वामी स्वामी, स्वामी या एजेंट नहीं है, तो मामला है ऐसी आवश्यकता होने पर, ऐसे माल को हटाने से इंकार या उपेक्षा कर सकता है या नोटिस की प्राप्ति के अठारह घंटे के भीतर पदार्थ निष्कासन में प्रभाव डाला जा सकता है इस तरह से ट्रैफिक मैनेजर ठीक समझे और अगर वह सोचता है तो वह कर सकता है आवश्यक है उक्त माल या पदार्थ को नष्ट कर देगा।

(2) स्वामी या स्वामी, या एजेंट, जैसा भी मामला हो, अड़तालीस के भीतर होगा लिखित रूप में मांग के घंटों बाद बंदरगाह अधिकारियों को खर्चों की सभी लागतों का भुगतान करें इस तरह के हटाने और नष्ट करने और ऐसी सफाई में भाग लेने या होने के कारण निर्वहन या भंडारण की जगह को शुद्ध या कीटाणुरहित करना।

60. खाद्य सामग्री के दूषित होने की संभावना वाले कार्गो की हैंडलिंग - (1) कार्गो की वस्तुएं, जैसे रासायनिक खादों, कीटनाशकों, जहरीले पदार्थों के रूप में जिनके होने की संभावना है दूषित भोजन - भंडारण के लिए किसी भी बर्थ पर सामान नहीं छोड़ा जाएगा, लंबित सुपुर्दगी, जब तक कि इस तरह के कार्गो के निर्वहन की विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई है यातायात प्रबंधक द्वारा लिखित।

(2) सभी मामलों में, जहां ऐसी अनुमति नहीं दी गई है, जहाज या तो होगा इस तरह के कार्गो को सीधे घाट पर उतारें, बशर्ते पर्याप्त व्यवस्था हो स्टीमर एजेंटों द्वारा परेपिती के साथ संतुष्टि के लिए किया गया है यातायात, ऐसे कार्गो की निकासी के लिए सीधे लैंडिंग बिंदु, रेल या सड़क से परिवहन, या इस तरह के कार्गो को स्टीमर एजेंटों द्वारा किराए पर लिए गए बार्ज में लैंड करना, यातायात प्रबंधक द्वारा भंडारण के लिए निर्धारित बिंदुओं तक ले जाया जाएगा।

61. जहाजों का उनकी बर्थ से स्थानांतरण - (1) यातायात प्रबंधक या तो कर सकता है स्वयं, या उप संरक्षक के माध्यम से किसी भी जहाज को एक से स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित करें किसी अन्य बर्थ पर पोर्ट में बर्थों बशर्ते कि ऐसी अन्य बर्थ खाली हो।

2. जहाज को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होने से पहले 12 घंटे का नोटिस दिया जाएगा इस नियम के तहत।

3. पत्तन किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो कि के कारण हो सकता है इस नियम के तहत स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला पोत।

62. स्टीवडोर को लाइसेंस जारी करना - (1) संरक्षक की सिफारिश पर यातायात प्रबंधक, साल-दर-साल कुछ स्वीकृत को लाइसेंस जारी करेगा स्टीवडोरिंग का काम करने की अनुमति देने वाली फॉर्म और व्यक्ति बंदरगाह में जहाजों और किसी भी स्टीवडोर को किसी भी जहाज पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी पत्तन जब तक कि उसके पास ऐसा लाइसेंस न हो।

2. यातायात प्रबंधक की सिफारिश पर संरक्षक किसी भी समय समय इस नियम के तहत जारी किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकता है या उसे निलंबित कर सकता है ऐसी अवधि जो लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए निर्दिष्ट की जा सकती है या नियम 63 या 64 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए।

3. यदि अनुदान के बाद भी लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है उसके बाद, यह पता चला है कि लाइसेंस के लिए आवेदन में कोई भी शामिल है भौतिक तथ्यों की गलत बयानी या गलत बयान या यदि लाइसेंस है दिवालिया घोषित किया गया है या परिसमापन में चला गया है जैसा भी मामला हो, या यदि अनुज्ञप्तिधारी या उसके कर्मचारी पत्तन में किसी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी लाइसेंस तब तक रद्द या निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका धारक लाइसेंस को कारण दिखाने का एक उचित अवसर दिया गया है कि उसका लाइसेंस क्यों है जैसा भी मामला हो रद्द या निलंबित नहीं किया जाना चाहिए:

परन्तु यह और कि कारण बताने के लिए ऐसा कोई अवसर आवश्यक नहीं होगा जब लाइसेंस धारक के खिलाफ जांच लंबित होने तक लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए या इनमें से किसी के उल्लंघन के लिए नियम या कुछ भी करने के लिए जिसके लिए लाइसेंस इस नियम के तहत उत्तरदायी है रद्द या निलंबित।

63. स्टीवडोर को लाइसेंस जारी करने की शर्तें - (1) प्रत्येक स्टीवडोर को सभी कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा उचित पालन और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार उसके द्वारा नियोजित, किसी पोत के लदान या उतराई के दौरान या आकस्मिक कार्य तत्समय लागू सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों और विनियमों का।

2. प्रत्येक स्टीवडोर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लोडिंग और अनलोडिंग संचालन भारतीय द्वारा या उसके तहत निर्धारित आवश्यकताओं के सभी प्रकार से अनुरूप हों गोदी मजदूर अधिनियम, 934 (1934 का 19) अपने स्वयं के गियर के साथ किया जाता है और से होने वाली किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होगा किसी भी दोषपूर्ण गियर का उपयोग।

3. (ए) प्रत्येक स्टीवडोर कम से कम एक अनुभवी फोरमैन को नियुक्त करेगा और , टिंडल को कार्गो की लोडिंग या अनलोडिंग या कोयले की बंकरिंग का पर्यवेक्षण करनाए या प्रत्येक हैच पर ईंधन - जिस तरह से लोडिंगए अनलोडिंग या बंकरिंग की जा रही है आगे ले जाना।

बी) टिंडल होल्ड में माल के स्लिंगिंग या अनस्लिंगिंग का पर्यवेक्षण करेगा और जहां कहीं भी जहाज डेक के बीच में कार्गो लोड कर रहा है, देखें कि डेक के बीच हैच या क्रॉस बीम और फोर के साथ प्रदान किया गया है और पिछाड़ी बीम में ऐसे सभी बीम अपने उचित स्थानों पर लगाए गए हैं, और यह कि हैच कवर को ठीक से लगाया जाता है और उन्हें रोकने के लिए प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जाता है काम शुरू करने से पहले विस्थापनय फोरमैन डेक पर रहेंगे और देखें कि क्रेन की चेन को हैच के वर्ग से बाहर नहीं निकाला गया था और यह कि हुक कोमिंग को नहीं पकड़ता है या जहाजों के किसी भी गियर को खराब नहीं करता है या किसी भी संरचना या निर्माण तट को क्षतिग्रस्त कर दिया।

सी) फोरमैन क्रेन चालक को सही संकेत देंगे और बीम और हैच कवर पर टेक ऑफ और डालने का पर्यवेक्षण करें और यह देखेंगे कि लोग डेक पर खतरे से बाहर रहें और किसी के नीचे खड़े न हों फहराना

डी) फोरमैनए जहां दिन या रात के लिए काम बंद हो जाता हैए खोज करेंगे और खुद को संतुष्ट करें कि कोई भी होल्ड में नहीं बचा है।

ई) स्टीवडोर जहाज के मालिकों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और किसी भी चोट या क्षति के कारण होने की स्थिति में पत्तन प्राधिकरण लोडिंग / अनलोडिंग या बंकरिंग के दौरान व्यक्ति या संपत्ति संचालन।

64. जहाज के कार्गो का निर्वहन मास्टर आदि के अधीक्षण में होना चाहिए या स्टीवडोर और उनकी देनदारी - कार्गो को किसी भी जहाज से छुट्टी नहीं दी जाएगी पत्तन के ऐसे पोत पर बोर्ड के निर्देशों और अधीक्षण के तहत छोड़कर जहाज के मालिक या मालिक या संरक्षक द्वारा लाइसेंस प्राप्त स्टीवडोर का पत्तन में ऐसा कार्य करना, और ऐसा स्वामीए स्वामी या स्टीवडोर होगा की लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि और क्षति के संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी इस तरह के जहाज पर माल की अनुचित स्लिंगिंग और हर उदाहरण में निम्नलिखित सावधानियों का पालन करेंए अर्थात्: -

- i. किसी भी सामान को लोड करने से पहले किंक किया जाता है
- ii. कि प्रत्येक गोफन को बनाने के बाद और पहले तनाव के साथ ऊपर उठाने के लिए, घर में चलने वाले लूप को लकड़ी की छड़ से अच्छी तरह पीटा जाता है ताकि पकड़ को सुरक्षित बनाया जा सकता है

65. मास्टर आदि और स्टीवडोर काम करने वाले कार्गो बोर्ड पर उचित रोशनी प्रदान करने के लिए - बंदरगाह में जहाजों के स्वामी और मालिक और कार्गो का काम करने वाले स्टीवडोर इस तरह के पोत के उचित प्रावधान के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार होगा जहाजों के इन सभी हिस्सों में रोशनी, जहां दोनों के साथ काम किया जा रहा है पोर्ट के क्रेन, क्रे पीयर या अन्य संपत्ति का उपयोग या अन्यथा, और डिफ्रॉल्ट रूप से वे संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से किसी भी नुकसान या जीवन के लिए क्षतिग्रस्त होने के संबंध में उत्तरदायी होंगे, अंग या संपत्ति जिसके परिणामस्वरूप वहां रूप होता है।

66. स्लिंग का निर्माण - जहाजों के नीचे क्रेन का उपयोग नहीं किया जाता है - स्लिंग ऑफ़ आयत माल सीधे किसी भी पोत के खुले हैचवे के नीचे बनाया जाएगा बंदरगाह में उतराई और किसी भी परिस्थिति में पत्तन के क्रेन नहीं होंगे के तहत माल को हटाने के लिए तोड़ने के उद्देश्य से नियोजित आ रहा है।

67. पोत की चरखी का उपयोग - अपने स्वयं के नियोजित जहाजों के स्वामी और मालिक माल की लदान या उतराई के लिए क्रेन या विंच इसके लिए जिम्मेदार होंगे किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले माल को कोई नुकसान या क्षति।

नोट: (1) क्रेनों को स्टीवडोर्स द्वारा निर्देशित स्थिति में तय किया जाएगा।

(2) जहाज के अधिकारी यह देखेंगे कि पत्तन के क्रेन जहाज के गियर से बिल्कुल साफ काम करते हैं।

68. भारी लिफ्ट - यातायात प्रबंधक के किसी भी जहाज से उतरने पर रोक लगा सकता है के क्रेनों को छोड़कर, 10 टन से अधिक वजन का कोई एकल लेख या पैकेज इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए बंदरगाहए यदि उनकी राय है कि आवश्यक या उचित है ऐसा करने के लिए।

69. भारी लिफ्टों का निर्वहन - (1) 10 टन से अधिक के एकल लेख और पैकेज जब तक यातायात प्रबंधक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती हैए तब तक वजन में छुट्टी नहीं दी जाएगी इस संबंध में उनके द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें।

(2) पत्तन प्राधिकरण किसी के संबंध में उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होंगे ऐसी वस्तुओं या पैकेजों को होने वाली हानि या क्षति

70. भारी पैकेजों की मार्किंग और पैकिंग - एक की एक वस्तु और पैकेज, एक मीट्रिक टन और अधिक वजन में (बाद में इस नियम में भारी पैकेज के रूप में संदर्भित), बंदरगाह में या घाट की दीवारों के साथ किसी भी जहाज पर लोड नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी प्रत्येक वस्तु या पैकेज का सकल भार स्पष्ट रूप से न हो और उस पर स्थायी रूप से अंकित किया जाता है और प्रेषकों या उनके एजेंटों द्वारा इस प्रकार पैक किया जाता है नीचे निर्धारित:-

1. भारी पैकेजों को चिह्नित करने का तरीका - (ए) भारी पर सकल भार यदि संभव हो तो पैकेज को अंग्रेजी में क्षेत्रीय भाषा में चिह्नित किया जाएगा एक प्रकार के पौधे के साथ जो आसानी से नष्ट नहीं होता है। (बी) जहां एक भारी पैकेज हल्के रंग का है काले रंग का है और जहां पैकेज गहरे रंग का है ऐसे चिह्नों के लिए रंग, सफेद या पीले रंग का प्रयोग किया जाएगा।

2. सकल वजन मीट्रिक टन या किलोग्राम में अंकित किया जाना है। -- का विषय खंड (6) के प्रावधानों को एक भारी पैकेज के सकल भार के रूप में चिह्नित किया जाएगा उस पर मीट्रिक टन या किलोग्राम में।

3. अंकन का स्थान - सकल भार के दोनों ओर अंकित किया जाएगा भारी पैकेज ताकि पैकेज को जिस भी स्थिति में रखा जाए, अंकन आसानी से देखा जा सकता है।

4. अक्षरों या अंकों का आकार - सकल को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रत्येक अक्षर या अंक एक भारी पैकेज का वजन कम से कम साढ़े सात सेमी होना चाहिए। (तीन इंच) लंबाई में और आधा सेमी (एक इंच का एक चौथाई) चौड़ाई में।

5. पैकिंग का तरीका - (क) भारी पैकेज में सामान सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा एक मजबूत आवरण में इस तरह से कि माल की कोई आवाजाही न हो पैकेज के अंदर माल के किसी भी विघटन के परिणामस्वरूप या आवरण।

बी) कवरींग ऐसी सामग्री और प्रकृति के रूप में हो सकती है के दौरान संभाले जा रहे पैकेज के दबाव का सामना करें लोडिंग या अनलोडिंग ताकि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी तरह की चोट का खतरा हो जो संभाला पैकेज कम से कम है।

(6) कुछ परिस्थितियों में अनुमानित वजन का अंकन - (ए) जहां पर जहां भारी पैकेज भेजा जाता है वहां कोई साधन उपलब्ध नहीं है पैकेज का सही वजन निर्धारित करना अनुमानित न्यूनतम और पैकेज का अधिकतम वजन मीट्रिक टन या किलोग्राम में होना चाहिए निर्दिष्ट से पहले सुनवाई के तरीके में उस पर चिह्नित;

बशर्ते कि इस तरह के प्रत्याशित अधिकतम का आकलन इस तरह किया जाएगा कि वह करता है पैकेज के वास्तविक वजन से नीचे नहीं गिरना चाहिए।

बी) कंसाइनर और उनके एजेंट, जहाजों के एजेंट और स्टीवडोर्स को किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा इस नियम का प्रावधान।

71. खतरनाक पदार्थ - केंद्रीय सामान्य प्रतिबंध - हैंडलिंग, परिवहन और खतरनाक के रूप में वर्गीकृत सभी पदार्थों की बंदरगाह सीमा के भीतर भंडारण संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों में परिभाषित किया गया है खतरनाक माल का परिवहन जो अगस्त 1954 में जिनेवा में मिला था) या योग्यता उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर वर्गीकरण के अधीन होगा इस तरह के प्रतिबंध और शर्तें जैसा कि उप बंदरगाह संरक्षक समय-समय पर कर सकता है समय, थोपना।

72. पोर्ट द्वारा प्रदान किए गए गियर और अन्य वस्तुओं का उपयोग - (1) सभी कार्गो हैंडलिंग पत्तन द्वारा उपलब्ध कराए गए गियर और अन्य वस्तुएं, जब आवश्यक नहीं रह जाएंगी, पत्तन के भंडार डिपो में वापस लौटा दिया जाएगा और के घाटों में पड़ा नहीं छोड़ा जाएगा सड़कें।

2. जहाजों और स्टीवडोर्स के स्वामी और मालिकों से भाड़े पर शुल्क लिया जाएगा ऐसी सभी वस्तुएं मांग की तारीख से स्टोर डिपो में वापस आने तक।

3. बंदरगाह द्वारा प्रदान नहीं की गई सभी वस्तुओं को क्रे से हटा दिया जाएगा या जिस काम के लिए उन्हें लाया गया है उसके दो घंटे के भीतर सड़कों को अंतिम रूप दिया जाता है और डिफॉल्ट रूप से हटाने का कार्य यातायात प्रबंधक द्वारा किया जाएगा और जहाज का स्वामी या स्वामी या स्टीवडोर या कोई अन्य व्यक्ति जिसे ऐसा गियर संबंधित ऐसे हटाने में किए गए सभी खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा।

73. शस्त्र - (1) बंदरगाह में प्रवेश करने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी, स्वामी या एजेंट और निर्वहन के लिए आयात कार्गो के रूप में बोर्ड पर, हथियार युक्त पैकेज और के लिए सुसज्जित बंदरगाह में आने के बाद जितनी जल्दी हो सके गोला बारूद होगा ट्रैफिक मैनेजर ऐसे सभी पैकेज की पूरी लिस्ट।

2. निर्वहन के बाद ऐसे पैकेज मास्टर द्वारा सौंपे जाएंगे शेड फॉरमैन का प्रत्यक्ष प्रभार जो उसके लिए रसीद प्रदान करेगा निर्दिष्ट प्रपत्र और ट्रांज़िट में पैकेजों को तुरंत लॉक कर देगा ओसारा।

3. हथियार और गोला-बारूद वाले सभी पैकेजों की बाहरी स्थिति रसीद दिए जाने से पहले और किसी भी मामले की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी जो विशेष उल्लेख के लिए कहता है उसे टिप्पणी कॉलम में दर्ज किया जाएगा।

4. हथियार और गोला-बारूद वाले पैकेज किसी भी परिस्थिति में नहीं होंगे रात में एक बर्तन से छुट्टी दे दी।

5. पत्तन प्राधिकरण किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे एक जहाज से उतारे गए हथियार और गोला-बारूद वाले पैकेज अन्यथा इस नियम के कड़ाई से अनुपालन के अलावा।

6. बंदरगाह किसी भी जहाज या जहाज की लाइन या जहाज की लाइन को छोड़कर, इस नियम का प्रावधान ऐसी अवधि के लिए जो संरक्षक ठीक समझे।

74. गोला बारूद और विस्फोटक - बंदरगाह में आने वाले किसी भी जहाज का मैटर के साथ गोला बारूद या विस्फोटक, आग के कामों के अलावा अन्य। जहाजों का हिस्सा बनाना संकट संकेतों के उपकरण, या 45 किलोग्राम से अधिक। (100 पौंड) गन पाउडर का वजन, कार्गो के रूप में बोर्ड पर, सबसे आगे अंतर्राष्ट्रीय कॉर्ड का लाल झंडा प्रदर्शित किया जाएगा दिन के समय और सूर्यास्त के बीच सूर्य उदय सबसे आगे एक लाल बत्ती प्रदर्शित करेगा जब तक गोला बारूद विस्फोटक या गन पाउडर सीमा के भीतर बोर्ड पर हैं बंदरगाह का।

75. विस्फोटक या अन्य खतरनाक कार्गो की लैंडिंग - (1) कोई पैकेज युक्त नहीं गन पाउडर या अन्य विस्फोटक या किसी भी खतरनाक कार्गो को के भीतर उतारा जाएगा सीमा शुल्क के कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना बंदरगाह की सीमाएं और उप संरक्षक और उसके लैंडिंग या शिपमेंट में सभी नियम बनाए गए हैं इस संबंध में कोई अधिनियम और पोर्ट द्वारा दिए गए या दिए गए कोई अन्य निर्देश भी ऐसे नियमों को लागू करने या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर प्राधिकरण सख्ती से पालन किया जाएगा और मनाया जाएगा।

(2) (ए) प्रत्येक पोत विस्फोटकों को लोड करते उतारते या संभालते समय या कैज्ड खतरनाक पेट्रोलियम सभी आग को रोकेगा और उन्हें तभी जमा करेगा जब विस्फोटक या आवरण वाले खतरनाक पेट्रोलियम को लोड नहीं किया जा रहा है छुट्टी नहीं दी जा रही है या संभाला जाता है और केवल तभी जब हैच में विस्फोटक या केस खतरनाक होते हैं पेट्रोलियम पूरी तरह से बंद है।

(बी) स्टॉक होल्ड के सभी वेंटिलेटर सावधानी से उपस्थित होंगे और ठीक से मंद और हवा की बचत को स्टॉक होल्ड में धांधली की जाएगी जहाजों में जमा होने वाली गैस की किसी भी जेब को रोके जिसमें कोई है बोर्ड पर खतरनाक पेट्रोलियम का आवरण।
भाग V - ईंधन तेल और नॉनडेंजरस का निर्वहन और शिपमेंट
पेट्रोलियम:

76. थोक में ईंधन तेल का निर्वहन – थोक में पेट्रोलियम ले जाने वाले जहाजों का निरीक्षण होगा पेट्रोलियम नियम, 1937 के प्रावधान और किसी के तहत बनाए गए नियम इस संबंध में अधिनियमन और डिप्टी द्वारा दिए गए या दिए गए कोई अन्य निर्देश भी इस तरह के नियम को लागू करने या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर संरक्षक।

77. पेट्रोलियम ईंधन तेल की बंकरिंग - पेट्रोलियम ईंधन तेल के साथ जहाजों की बंकरिंग पोर्ट बार्ज और टैंक वाहनों में निम्नलिखित के अधीन अनुमति दी जाएगी:
शर्तें अर्थात्:-

ए. ऐसे सभी समय के दौरान किसी भी जहाज को उसके बंकरों में ईंधन मिल रहा है। ऐसे जहाजों का मास्टर या पहला साथी बोर्ड पर मौजूद है और वह देखेगा कि इस नियम का प्रावधान या इसके साथ संकलित और सभी उचित सुरक्षा के लिए सावधानियां बरती जाती हैं।

बी. एक जहाज का अधिकारी पहले पर रहेगा और तेल कंपनी का एक परिचारक आपूर्ति करने वाले बंकरों को लचीले कनेक्टिंग के साथ-साथ तैनात किया जाएगा पाइप की बंकरिंग चल रही है।

सी. जहाजों पर धूम्रपानए खाना पकानेए नैकेट लाइट या फोर्ज की अनुमति नहीं होगी बंकरिंग के दौरान डेक चल रहा है।

डी. कनेक्टिंग के तहत एक उपयुक्त गटर या अन्य उल्लंघन रखा जाएगा किसी भी तेल को घाट पर या बंदरगाह बेसिन में टपकने से रोकने के लिए सेवा।

इ. ईंधन तेल प्राप्त करने वाले पोत के मास्टर और मालिक और ईंधन तेल के आपूर्तिकर्ता बंकरिंग को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा कोई भी उचित रूप से यातायात प्रबंधक के कार्गो प्रभारी के बंदरगाह से संबंधित है जहाजों के उपकरणों या उपकरणों में कोई खराबी या खराबी या आपूर्तिकर्ता।

एफ. स्टील प्लेट, लोहे की रेल और इसी तरह के सामान के अलावा कोई भी कार्गो अप्रभावित नहीं है तेल तेल स्टैंड पाइप के 50 फीट के भीतर घाट पर अनुमति दी जाएगी और शेड के दरवाजे उनके ठीक पीछे बंद रखे जाएं और दीवारें बंकरिंग की जाए चालू।

जी. बंकरिंग शुरू होने से पहले परिचारक यह देखेगा कि टेलीफोन तेल कंपनी के विभाग से कनेक्शन कार्य क्रम में है।

भाग VI - आग और रोशनी

78. धूम्रपान आदि :- धूम्रपान और किसी भी प्रकार की असुरक्षित आग या प्रकाश का उपयोग बंदरगाह के भीतर शेड या वेयर हाउस सख्त वर्जित है और कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा या लूसिफ़ेर माचिस या अन्य ज्वलनशील वस्तुओं या किसी घाट या क्रे या ऑन को प्रज्वलित करें बंदरगाह के भीतर किसी भी जहाज पर चढ़नाए ऐसे स्थानों को छोड़कर जो के लिए आवंटित किए जा सकते हैं प्रयोजन।

79. आग और बत्ती :- (1) किसी भी पोत को धूनी नहीं दी जाएगीए सिवाय नियत स्थान के उप संरक्षक द्वारा उद्देश्य के लिए।

2. पिच या डैमर को बंदरगाह के भीतर जहाजों के बोर्ड पर गर्म नहीं किया जाएगाए लेकिन में शेखी बघारना

3. कपास लोड करते समय जहाजों में कोई भी असुरक्षित रोशनी नहीं होनी चाहिए पकड़।

4. जब गन पाउडरए गोला-बारूद या अन्य विस्फोटक 45 किग्रा (100 आईबी) से अधिक हो के भीतर किसी भी जहाज पर वजन में भेज दिया या छोड़ा जा रहा है बंदरगाह की सीमा, बोर्ड पर आगए रोशनी या धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी विस्फोटक नियम, 1940 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर।

80. पत्तन और पुलिस अधिकारियों के लिए जहाजों की पहुंच:- पत्तन में जहाजों की अनुमति होगी आग के संबंध में निरीक्षण उद्देश्यों के लिए पत्तन और पुलिस अधिकारियों के लिए मुफ्त पहुंच और जहां कहीं भी मांग की गई रोशनी और कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस के आदेशों की अवज्ञा नहीं करेगा अधिकारी या चौकीदार या के उल्लंघन में प्रयुक्त किसी आग या प्रकाश को बुझाना ये नियम।

भाग VII. विविध:

81. क्रे आदि और पत्तन क्षेत्र यातायात प्रबंधक के अधिकार में हो :-

(1) (ए) पत्तन की सीमा के भीतर खदानए शेड, द्वार और अन्य क्षेत्र यातायात प्रबंधक के प्रभार में होगा, जो निर्देश देगा और माल की लैंडिंग और शिपिंग से जुड़े सभी कार्यों का प्रबंधन, और उनका भंडारण या तो शेड में या खुले में।

बी) यातायात प्रबंधक के पास पड़े सभी सामानों की उचित हिरासत होगी पत्तन और ऐसे कदम उठाएं जो उचित के लिए आवश्यक हो सकते हैं पत्तन के भीतर आदेश का रखरखाव।

2. (ए) कोई भी व्यक्ति बिना परमिट या टोकन जारी किए किसी भी बंदरगाह क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा यातायात प्रबंधक द्वारा या उसके अधिकार के तहतए ऐसा परमिट या टोकन होगा एक पुलिस अधिकारी या किसी पत्तन अधिकारी द्वारा मांग परए उसमें विधिवत अधिकार प्राप्त की ओर से निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाए।

बी) कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जारी किए गए किसी परमिट या टोकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा उसे पूर्वोक्त के रूप में।

सी) किसी भी व्यक्ति को जारी किया गया कोई परमिट या टोकन और उसके द्वारा उपयोग करने की अनुमति दी गई है दूसरे द्वारा जब्त और रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

82. पत्तन के विभिन्न अनुभागों के कार्य घंटों का विनियमन:- घंटे जिसके दौरान कई अनुभागों में से प्रत्येक में कार्य किया जा सकता है जिसमें यातायात कार्य प्रयोजनों, पत्तन परिसर विभाजित कर रहे हैं द्वारा अधिसूचित किया जाएगा यातायात प्रबंधक, समय-समय पर अनुभागों में चस्पा नोटिसों के माध्यम से संबंधित है, और कोई काम नहीं किया जाएगा काम करने के बाहर पत्तन परिसर के भीतर घंटे को छोड़कर, अधिसूचित किया गया

यातायात प्रबंधक की लिखित में अनुमति।

83. रात्रि एवं अवकाश का कार्य :- रात्रि अथवा रविवार को कार्य हेतु आवेदन अथवा यातायात प्रबंधक को अवकाश दिया जाएगा जो आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने पर अनुमति प्रपत्र सीमा शुल्क विभाग के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा उसका उचित संपर्क और ऐसे दिन और रात में काम करना के अधीन होगा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट विशेष प्रभारों का भुगतान।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए अवकाश वे होंगे जो द्वारा अधिसूचित किए गए हैं समय-समय पर संरक्षक।

84. पत्तन में प्रवेश :- पत्तन के प्रवेश द्वार और विकेट द्वार होंगे पत्तन प्राधिकारियों द्वारा उसके लिए निर्दिष्ट घंटों के दौरान खुला रखा जाता है और प्रवेश किया जाता है इन फाटकों से किसी भी समय बाहर निकलना केवल विशेष धारक व्यक्तियों के लिए होगा इस उद्देश्य के लिए यातायात प्रबंधक द्वारा जारी किए गए पास।

85. भोजन प्राप्त करने के लिए गोदी मजदूरों और नाविकों के लिए स्थल निर्धारित:- कुछ स्थल के आदेश से समय-समय परए अवसर की आवश्यकता के अनुसार अलग रखा जाएगा नाविकों या गोदी मजदूरों को प्राप्त करने के लिए सक्षम करने के लिए यातायात प्रबंधक अपने विवेक पर उनका भोजन और ऐसा भोजन लाने वाले सभी व्यक्तियों को इन स्थलों तक ही सीमित रखा जाएगा और स्नान कहते हैं कि वहां से आगे बढ़ते हुए जो नोटिस बोर्ड द्वारा इंगित किया जाएगा।

86. मामलों को खोलने और मरम्मत करने के लिए शेड में लाइसेंसधारी बढई को अनुमति दी जाएगी:- यातायात प्रबंधक काम करने के लिए योग्य व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करेगा: मालिकों के कहने पर मामलों को खोलने और मरम्मत करने के लिए बंदरगाह में बढई उसके और किसी अन्य व्यक्ति को उसके बाद लाइसेंस प्राप्त लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी बंदरगाह में ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी उपकरण या अन्य उपकरण।

87. फेरीवालों को अनुज्ञप्ति जारी करना :- कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में फेरी लगाने या माल की बिक्री नहीं करेगा यातायात से लाइसेंस के बिना बंदरगाह या बंदरगाह के भीतर किसी भी जहाज पर प्रबंधक और इस उद्देश्य के लिए यातायात प्रबंधक व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर सकता है जो वार्षिक रूप से नवीकरणीय होगा बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति पूर्व प्राप्त करेंगे सीमा शुल्क कलेक्टर का लिखित में अनुमोदन और ऐसा लाइसेंस नहीं होगा धारक की अनुमति के बिना बंदरगाह में किसी भी जहाज पर सवार होने का अधिकार ऐसे जहाज का मालिक या एजेंट।

88. ट्रक और हैंड-बैरो को बंदरगाह से बाहर निकालना:- (1) ट्रक और हैंड-बैरो माल से भरा हुआ और तुरंत बंदरगाह से बाहर नहीं ले जाने के लिए उत्तरदायी होगा माल के मालिक के जोखिम और खर्च पर यातायात प्रबंधक द्वारा हटाया जाना।
2. ट्रक और हैंड-बैरो व्यापारियों और अन्य लोगों के हैं और बाई ओर पड़े हुए हैं बंदरगाह यातायात प्रबंधक द्वारा हटाने और जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

89. पत्तन की किसी संपत्ति का विनाश या क्षति:- कोई भी व्यक्ति जो काटता है, किसी भी मूरिंग, रस्सी-श्रृंखला, जीवन रक्षक, जीवन रेखा या जीवन रक्षक को विरूपित या क्षतिग्रस्त करता है बंदरगाह के भीतर किसी भी लंगर से संबंधित उपकरण या कोई बोया, बोया-रस्सी या केबल चैनल या प्रवेश द्वार या बंदरगाह में किसी भी दंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिस पर वह किसी अन्य कानून के तहत उत्तरदायी हो सकता है क्षति मरम्मत की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकता है और वसूली।

90. अधिकारियों को बाधा आदि:- कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़, मारपीट, विरोध, बाधा नहीं डालेगा, बाधा डालना, बाधा डालना या बाधित करना या पेशकश करना या छेड़छाड़ करने का प्रयास करना, हमला करना, बाधा डालना, बंदरगाह के कर्मचारी को उसके प्रदर्शन में बाधा डालना, बाधा डालना या बाधित करना कार्य करता है, या उसके वैध आदेशों की अवज्ञा करता है, या अपमानजनक या आपत्तिजनक भाषा या सहायता का उपयोग करता है या दूसरों को इनमें से कोई भी काम करने के लिए उकसाना।

91. वाहनों का चलना:- माल के परिवहन के लिए मोटर लॉरी या अन्य वाहन बंदरगाह के भीतर किसी भी सड़क घाट या खदान के साथ या उस पर नहीं चलाया जाएगा या इस संबंध में जारी किए गए लाइसेंस के बिना बंदरगाह में प्रवेश या अनुमति दी जा सकती है यातायात प्रबंधक और निम्नलिखित शर्तों के अनुसार छोड़कर:

अर्थात्:-

i. ऐसे वाहन सभी प्रकार से मोटर के प्रावधानों के अनुरूप होंगे

वाहन अधिनियम, 1939, (1939 का 4), और उसके अधीन बनाए गए नियम:

ii. ऐसे वाहन को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा:

iii. ऐसा वाहन आमतौर पर बंदरगाह में मान्यता प्राप्त सड़कों पर चलेगा लेकिन हालांकि घाटों पर ट्रॉजिट शेड में और खुले में अनुमति दी जा सकती है लोडिंग या अनलोडिंग के प्रयोजनों के लिए भंडारण स्थान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है बंदरगाह और पुलिस अधिकारी;

iv. ऐसी मोटर लॉरी या वाहन बंदरगाह में प्रवेश करते या छोड़ते समय रुक जाएंगे पोर्ट गेट्स पर जब तक पोर्ट से पास होने की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है अधिकारी या सीमा शुल्क अधिकारी या दोनों गेट और ड्राइवर पर ड्यूटी पर हैं वहां की मांग पर निरीक्षण के लिए अनुमति देने वाला लाइसेंस प्रस्तुत करेगा बंदरगाह में प्रवेश करने के लिए लॉरी या वाहन;

v. ऐसे किसी भी वाहन को पत्तन के भीतर अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी यातायात प्रबंधक की राय में लोड करने के उद्देश्य से आवश्यक हो या माल उतारना, और भाड़े के लिए इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए,

vi. ऐसा कोई वाहन बंदरगाह के भीतर अपने टैंकों को पेट्रोल या अन्य ईंधन से नहीं भरेगा यातायात प्रबंधक से विशेष अनुमति के बिना।

vii. इस नियम के तहत किसी भी वाहन को दिया गया लाइसेंस यदि परिस्थितियों में हो सकता है तो आवश्यकता है यातायात प्रबंधक द्वारा किसी भी समय के धारक के बाद निरस्त किया जा सकता है लाइसेंस को कारण बताने का उचित अवसर दिया गया है कि क्यों लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा और इस तरह के निरसन पर आनुपातिक शुल्क लाइसेंस की अवधि के असमान हिस्से के संबंध में यदि कोई हो, हो सकता है इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखित आवेदन किए जाने पर धनवापसी की जाएगी।

92. फीस या ग्रेच्युटी की पेशकश :- किसी को कोई शुल्क, ग्रेच्युटी या इनाम नहीं दिया जाएगा बंदरगाह का अधिकारी या सेवक जिसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के दर्द पर मना किया गया है ऐसा कोई शुल्क, ग्रेच्युटी या इनाम प्राप्त करें।

93. संकेत:- (1) सभी आवश्यक संकेत जहाजों द्वारा का उपयोग करके किए जा सकते हैं संकेतों की अंतर्राष्ट्रीय संहिता और उन्हें उत्तर देकर स्वीकार किया जाएगा सिग्नल स्टेशन मस्तूल-सिर पर फहराया जा रहा पेंडेंट।

2. मोरेस और सीमफोर कोड द्वारा संचार बंदरगाह पर किया जा सकता है सिग्नल स्टेशन दिन के दौरान फ्लैट श्जेड का उपयोग करना और कम अंतराल पर श्जेड चमकाना रात में स्टेशन पर कॉल करने के लिए।

94. खराब मौसम की व्यवस्था :- प्रतिकूल या धमकी की व्यापकता के दौरान मौसम बंदरगाह में प्रत्येक पोत का मास्टर निम्नलिखित में शामिल होगा निर्देश, अर्थात्:

ए. वह सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच अपने बर्तन से अनुपस्थित न रहे

बी. वह अल्प सूचना पर समुद्र में जाने के लिए अपने जहाज को हर प्रकार से तैयार रखेगा और यदि यह उसके लिए संभव नहीं है, तो वह इस तथ्य को एक ही बार में सूचित करेगा
उप संरक्षक:

सी. खतरे का सिगनल फहराने पर वह सुरक्षा के सभी उपाय करेगा अपने पोत के लिए क्योंकि पत्तन द्वारा कोई और निर्देश नहीं दिया जा सकता है अधिकारियों।

95. कतिपय नियमों का अनुपालन :- पत्तन में आने वाले सभी जहाजों को अपने रुके और बंदरगाह से प्रस्थान करते समय के प्रावधानों का पालन करना चाहिए
भारतीय बंदरगाह स्वास्थ्य नियम, 1955

(सं. एफ.सं.पीजीएल-38/74)

एमआर गठवाल अवर सचिव